क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5.7.23	पत्रा० पेश हुआ। पैरोकार सरकार उप० ~~अपील~~ प्रार्थी की ओर से कोई उप० नहीं। पत्रा० मूल अपील के साथ आगामी ता. पेशी दिनांक 19.7.23 को पेश हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
	19/7/23	पत्रा. पेश हुआ। पैरोकार सरकार उप० प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से कोई उप० नहीं। चूंकि मूल अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम एवं नियम 3 के अन्तर्गत निर्णय कर खारिज की जा चुकी है। अतः संबंधित स्थगन प्रार्थना पत्र की पत्रावली चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होकर निर्णय शुमार होकर पत्रावली वर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर